



झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

वार्षिक माध्यमिक / इंटर परीक्षा के पंजीयन से संबंधित आवश्यक सूचना

विज्ञापित संख्या - 27/2012

एतद् द्वारा सभी माध्यमिक/इंटर परीक्षा के छात्र/छात्राओं, विद्यालय/महाविद्यालय के प्रधानों एवं संबंधित पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है कि झारखण्ड अधिविद्य परिषद् अधिनियम 2002 एवं अनुवर्ती संशोधन अधिनियम 2006 की धारा 21,22, 23 एवं 24 में दोबारा पंजीयन कराने अथवा उसको पुनर्जीवित करने के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। झारखण्ड अधिविद्य परिषद् परीक्षा विनियम 2005 के रेगुलेशन 17 के परन्तुक में निम्न प्रावधान है:-

“Provided that no candidate shall be allowed to appear at the examination as a non-collegiate Ex-student beyond a period of three consecutive years including the year in which he was sent up for the examination.”

परिषद् द्वारा लिए गए निर्णय तथा सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड सरकार के अनुमोदन के पश्चात् उक्त प्रावधान को विलोपित करते हुए निम्नवत् प्रख्यापित किया जाता है:-

“Provided that a candidate who could not appear or succeed in the examination beyond the period of three consecutive years including the year in which he was sent up for the examination, he may be re-registered and be allowed to appear in examination. Re-registration would be mandatory after every three years for appearing in examinations.

Re-registration will be done at the time of filling up any examination form. This facility will also be available for private candidates.”

अध्यक्ष के आदेशानुसार,

ह./-

(सुरील कुमार राय)

सचिव,

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची ।

JAC/शे.प्र./12023/11/SECY/192/12

Dt. 08.05.2012

D.O.P. - 09.05.2012